दिनांक-20.01.2026 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन प्रगति यात्रा से संबंधित बागमती नदी पर निर्मित तटबंधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

दिनांक-20.01.2026 को सम्पन्न मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों/संवेदक/संवेदक के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए:-

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।
2. श्री विवेक गौरव, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना।
3. श्री सियाराम पासवान, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी।
4. श्री भास्कर कुमार, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी।
5. श्री शाहिद कमाल, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर।
6. श्री बिपिन कुमार, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर।
7. श्री मनीष कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-18, पटना।
8. श्री मयंक अग्रवाल, निदेशक, मेसर्स जी.ए. इन्फ्रा प्रा० लि०, जयपुर, राजस्थान। (V.C. के माध्यम से)
9. श्री सुरेन्द्र कुमार, प्रतिनिधि, मेसर्स गावर कन्सट्रक्शन प्रा०लि०,हिसार, हरियाणा । (V.C. के माध्यम से)
10. श्री मंदीप बंसल, प्रतिनिधि, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स गावर कन्सट्रक्शन प्रा० लि०, हिसार, हरियाणा।
11. श्री हिमांशु गुप्ता, प्रतिनिधि, मेसर्स जी.ए. इन्फ्रा प्रा० लि०, जयपुर, राजस्थान।

बैठक के दौरान की गयी समीक्षा एवं दिये गये निदेश निम्नवत् हैः-

- **बागमती बायां तटबंध के कि.मी. 0.00 से 7.27, बायां एफलक्स बांध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 8.04, दायें तटबंध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 9.72, दोआब तटबंध के कि.मी. 9.00 से कि.मी. 10.00, बैरगनिया रिंग बांध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 6.60 का बी.आई.एस. कोड एवं नये एच.एफ.एल. 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य।**

1. दिनांक-05.01.2026 को सम्पन्न वर्णित योजना की समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन के क्रम में कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि इस कार्य अंतर्गत Protection Work में प्रयुक्त होने वाले Local sand हेतु नदी में अवस्थित शोल को चिन्हित किया गया है एवं नदी को चैनलाईज/ नदी के बहाव क्षेत्र में वृद्धि /नदी को तटबंध के आक्राम्य स्थलों से Repel करने के उद्देश्य से Local Sand का उठाव किया जा रहा है। इसी क्रम में निदेश दिया गया कि अगली बैठक में निश्चित रूप से चैनल निर्माण संबंधी ड्रोन विडियो एवं फोटोग्राफ प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुती दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

   (अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

2. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि इस कार्य के वर्क प्रोग्राम के अनुसार Earthwork, Protection Work के कार्य में प्रगति है परन्तु Non-Bitumious कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है, इस संबंध में निदेश दिया गया कि वर्क प्रोग्राम के अनुरूप Non-Bitumious कार्य को प्रारंभ कर वांछित प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे।

   (अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

3. कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि कार्य में वास्तविक रूप से बाधक विद्युत पोलों के स्थानांतरण हेतु प्राक्कलन विद्युत कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी द्वारा उपलब्ध कराया जाना है, परन्तु वर्तमान में प्राक्कलन विद्युत अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा जाँच कर

उपलब्ध नही कराया गया है। इस संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा प्रबंध निदेशक, एन.बी.डी.पी.सी.एल. से दूरभाष पर इस संबंध में चर्चा की गयी एवं विद्युत पोलों के स्थानांतरण हेतु प्राक्कलन को जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु संबंधितों को निदेशित करने हेतु अनुरोध दिया गया। साथ ही क्षेत्रीय अभियंता इस संबंध में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए स्वीकृत प्राक्कलन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

4. कार्य के संवेदक मेसर्स गावर कंसट्रक्शन प्रा० लि० के निदेशक द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु कार्यक्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर रहे वृक्षों को शीघ्र हटाने हेतु अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर वृक्षों को हटाने हेतु वृक्षों को चिन्हित कर लिया गया है। इस संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए आवश्यक अनुमति प्राप्त कर वृक्ष पातन कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

- **बागमती नदी के दाएं तटबंध 15.24 कि.मी. से 79.00 कि.मी., बायें तटबंध के 7.27 कि.मी. से 81.19 कि.मी., भरथुआ रिंग बाँध के 0.00 कि.मी. से 2.13 कि.मी. एवं धनौर कटरा रिंग बाँध के 0.00 कि.मी. से 4.70 कि.मी. का बी.आई.एस. कोड एवं नये एच.एफ.एल. 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्यः-**

1. इस कार्य की प्रगति वर्क प्लान के अनुरूप कम पायी गई इस संबंध में वांछित Man-Machinery की तैनाती सुनिश्चित कराते हुए वांछित प्रगति लाने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही बागमती प्रमंडल, शिवहर अंतर्गत कार्य में Vibratory Roller की संख्या बढ़ाने हेतु विशेष रूप से निदेश दिया गया।

(अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/कार्य संवेदक)

2. कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर द्वारा बताया गया कि बागमती बांध तट पर अवैध रूप से वृक्षपातन के संबंध में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, रुन्नीसैदपुर द्वारा वनवाद दर्ज किया गया है साथ ही इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अवैध वृक्षपातन को रोकने एवं संलिप्त दोषी व्यक्तियों पर विधि सम्मत् कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस क्रम में कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर द्वारा बताया गया कि संबंधित कनीय अभियंता द्वारा अवैध वृक्ष पातन को लेकर अज्ञात लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। इस संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा संबंधित कनीय अभियंता श्री प्रभास के द्वारा नामजद प्राथमिकी नहीं दर्ज करने एवं अपने कार्यो के प्रति लापरवाही बरतने में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के परिप्रेक्ष्य में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः-अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग)

3. इस कार्य में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी के संबंध में निदेश दिया गया कि तटबंध सुदृढ़ीकरण में प्रयुक्त होने वाले मिट्टी को तटबंध के Country side से गुणवत्ता एवं विशिष्टि से संतुष्ट होते हुए यथा संभव उठाव किया जाना सुनिश्चित करने एवं हर-हाल में विभागीय परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही Mining Plan विधिवत् मिलान कर भेजा जाय।

(अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

4. इस कार्य हेतु उपयोग किये जाने वाली मिट्टी के संबंध में निम्नवत् महत्वपूर्ण निदेश दिये गयेः-
   - मिट्टी कार्य हेतु माईनिंग प्लान को सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोंपरान्त खाता खेसरावार एवं मात्रावार तालिकाबद्ध रूप में सर्वसाधारण को सूचित करने निमित्त समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

- मिट्टी कार्य हेतु खाता, खेसरावार एवं मात्रावार बौरो एरिया की सूची सहित तालिकाबद्ध होर्डिंग के रूप में प्रति दो कि.मी. कार्यक्षेत्र में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्यक्षेत्र में लोगों को मिट्टी कार्य के संबंध में आवश्यक सूचना माईकिंग के माध्यम से देना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

- अन्य महत्वपूर्ण निदेशः-

1. खनन विभाग से अनापत्ति के संदर्भ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में विभिन्न योजनाओं में प्रयोग हेतु नदियों से Local Sand /Local Soil /River bed Material की निकासी के लिए NHAI एवं अन्य विभाग को पूर्व में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है, जिसके आलोक में उनके द्वारा संबंधित खनन कार्यालय को Royality एवं Seigniorage fee आदि का भुगतान संबंधित शुल्क के अनुरूप किया जाता है, जिसपर खनन विभाग द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नही की जाती है। जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो/कटाव निरोधक कार्यो में भी Local Sand /Local Soil /River bed Material का प्रयोग किया जाता है, परन्तु इसे Local Sand की संज्ञा देते हुए कार्रवाई की जाती है।

   इसी क्रम में प्रधान सचिव महोदय द्वारा बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो / कटाव निरोधक कार्यो यथा EC Bag, Geo Bag, Mega Geo Bag में प्रयुक्त किये जाने वाली Local Sand के स्थान पर Local Soil/Local Sand/ River bed Material के प्रयोग किये जाने पर विभागीय निदेशों में आवश्यक अपेक्षित संशोधन करने हेतु विभागीय उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने एवं 15 कार्य दिवसों में समिति की अनुशंसा प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः-सभी मुख्य अभियंता, बाढ़ परिक्षेत्र/अधीक्षण अभियंता,योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, पटना)

2. वर्तमान बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन ससमय पूर्ण करते हुए दिनांक-13.02.2026 को 12:00 बजे मध्याह्न में पुनः बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/संवेदक)

3. संवेदक/ संवेदक प्रतिनिधि जिन्होने बैठक में V.C. के माध्यम से भाग लिया उन्हे अगली बैठक में सभागार में उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/संवेदक)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह०/-
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-34/2025 352 /पटना, दिनांक- 22/01/2026

प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22/01/2026

(वरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-34/2025 352 /पटना, दिनांक- 22/01/2026

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

22/01/2026

(वरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-34/2025 352 /पटना, दिनांक- 22/01/2026

प्रतिलिपिः-मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना/ मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियंता,योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, पटना/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी/अवर सचिव प्रबंधन, जल संसाधन विभाग/ कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी/ शिवहर/ रून्नीसैदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर अपने स्तर से संबंधित संवेदकों को बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

22/01/2026

(वरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-34/2025 352 /पटना, दिनांक- 22/01/2026

प्रतिलिपिः-कार्यपालक अभियंता, आई.टी., जल संसाधन विभाग को बैठक की कार्यवाही विभागीय बेवसाईट में अपलोड किये जाने हेतु निदेशित।

22/01/2026

(वरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)